



प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक- डब्लू० एम०- 11/ परिवीक्षा अवधि विस्तार/2022-23/ 54
दिनांक- 26 / 07/ 2022

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार, श्री संदर्भ कुमार सिंह, प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु) को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति की तिथि से अगले एक वर्ष दिनांक- 24.06.2023 तक परिवीक्षा अवधि को विस्तार करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) खंड- 1 की कंडिका 7.5 के अनुसार, "प्रमंडलीय लेखाकारों के संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो (02) वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।"

ज्ञातव्य हो कि किसी भी प्रमंडलीय लेखाकारों की परिवीक्षा अवधि को दुगनी अवधि, यानि कुल परिवीक्षा अवधि को चार (04) वर्षों से आगे परिवीक्षाधीन नहीं रखा जा सकता है।

ह०/-
उप महालेखाकार (कार्य)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) बिहार, पटना का सचिवालय,
2. उप महालेखाकार (कार्य) का सचिवालय,
3. सूचना पट्ट।


वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना